>

Title: Need to expedite the approval of grant under Prime Minister National Relief Fund.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

विभिन्न माननीय सांसदों के अनुरोध पर प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक रूप से कमज़ोर रोगियों के उपचार हेतु प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा अनुदान स्वीकृत होता है, जिसके कारण बहुत से रोगियों की जान भी बचती है। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन बहुत बार अनुभव में आता है कि उस राशि के स्वीकृत होने में इतना समय लग जाता है कि रोगियों की मृत्यु भी हुई है। मैं दो उदाहरण रिकार्ड पर बता रहा हूँ। एक प्रकरण मेरठ की निशा अग्रवाल का है। 30 अप्रैल 2010 को मैंने उसके लिए प्रधान मंत्री कार्यालय को लिखा, लेकिन 10 महीने उनकी सहायता आने में लग गए और उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही दूसरा प्रकरण 28 अप्रैल 2011 को मैंने लिखा। ढाई महीने बाद उनकी सहायता आई, वह छोटा बच्चा था लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मेरा निवेदन यह है कि आज ई-गवर्नेन्स का समय है। बहुत तेज़ी से सारे संदेश आ जा सकते हैं। इसको अधिकतम 15 दिन, नहीं तो मैं चाहूँगा कि सप्ताह भर में उसके विषय में निर्णय हो। जो रोगी होता है, वह आल-इंडिया में पहुँच जाता है, सफदरजंग अस्पताल में पहुँच जाता है। वह गंभीर स्थिति में पहुँचता है। उसको तत्काल सहायता नहीं मिलती है तो उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार समय को कम करे, हफ्ते भर का करे, अधिक से अधिक 15 दिन का करे ताकि सहायता समय पर पहुँच जाए और रोगियों की जान बचाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री जनार्दन स्वामी एवं डॉ.तरुण मंडल के नाम श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।